(वाद संख्या–1508/18)

09.09.2019

परिवादी शिव वचन राम ततवा स्वयं उपस्थित हैं।

कार्यपालक अभियंता, सोन नहर, प्रमंडल–विक्रमगंज (रोहतास) की ओर से श्री अशोक कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता, सम्बन्धित कागजातों संचिका के साथ उपस्थित हैं।

उभय पक्ष को सुना।

प्रस्तुत मामले में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी शिव वचन राम ततवा का दिनांक 01.10.1979 से अपनी सेवा वर्खास्तिगी की तिथी दिनांक (31.07.2004) तक नियमित रूप से कार्यपालक अभियंता, सोन नहर, प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) के अधीनस्थ सरकारी सेवा में मेट के पद पर कार्यरत थे। प्रस्तुत मामले में यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी की ओर से दिनांक 31.07.2004 के बाद अपने तथाकथित बकाया वेतन व पेंशन आदि अन्य सेवांत लाभों के भुगतान हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No.–10291/2006, CWJC No. –1050/2015, CWJC No. –3161/2016 तथा एल0पी0ए0 संख्या–718/2007 दाखिल किया गया जो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में परिवादी दिनांक 01.08.2004 से किसी भी तरह का कोई सेवारत व सेवांत लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन अपनी बर्खास्तगी की तिथि दिनांक 31.07.2004 तक का सभी सेवारत व समूह ग्रुप बीमा की राशि का लाभ पाने के अधिकारी हैं। परिवादी का कथन है कि उन्हें सेवाकाल में जून, 2004 से जुलाई, 2004 तक का दो माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है तथा दिनांक 31.07.2004 तक के अपने सेवाकाल में अनुमान्य ए0सी0पी0 तथा वर्ष 1999 में वेतन वृद्धि का भी लाभ नहीं मिला है साथ ही साथ उसे समूह ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान, भुगतान की तिथि तक की सूद के साथ न कर दिनांक 31.07.2004 तक के सूद को जोड़कर भुगतान किया गया है। उपरोक्त तथ्य का समर्थन आयोग के समक्ष उपस्थित कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) द्वारा भी किया जा रहा है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) जो परिवादी के नियंत्री पदाधिकारी भी हैं, को यह निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 31.10.2019 तक परिवादी को जून, 2004 से जुलाई, 2004 (दो माह) का वेतन, बर्खास्तगी की तिथि (दिनांक 31.07.2004 तक) परिवादी को अनुमान्य ए0सी0पी0 व वेतन वृद्धि का लाभ तथा समूह ग्रुप बीमा की राशि का भुगतान की तिथि तक के सूद की राशि को जोड़ते हुए समूह ग्रुप बीमा की राशि की अंतर राशि का भुगतान कर आयोग को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

आज उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली तिथि 14.11.2019 की सूचना के संबंध में उभय पक्ष को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति उचित कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) को भेज दी जाय।

उक्त तिथि को परिवादी व कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, विक्रमगंज (रोहतास) उपस्थित रहेंगे।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक